कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

दिनांक–

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 /

सेवा में,

14056
01.12.15

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत मीरगंज
जिला– गोपालगंज

पत्र सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
02 DEC 2015
प्राप्ति तिथि
बिहार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत मीरगंज के वर्ष 2013–14 से 2014–15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1074 / 15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत् बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

पत्र सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
04 DEC 2015
12061
संख्या.....
बिहार, पटना

भवदीय,

–ह0.–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

दिनांक– 27.11.2015

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14524 / 273

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, गोपालगंज

27/11/15
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर पंचायत मीरगंज(गोपालगंज)
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–1074 / 15–16
(अवधि–2013–14 से 2014–15)
भाग – I
प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर पंचायत, मीरगंज
2.	लेखा वर्ष	2013–14 से 2014–15
3.	अंकेक्षण अवधि	13.08.2015 से 20.08.2015
4.	लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र–	परिशिष्ट– I और II पर संलग्न
5.	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	1. श्री बलराम मिश्रा, स0ले0प0अ0 2. श्री राजकिशोर कुमार, लेखा परीक्षक
6.	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	श्री राकेश खन्ना, व0ले0प0अ0
7.	कार्यालय प्रधान का नाम	मो. नूर एन(अंकेक्षण अवधि के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार पर थे)
8.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार–विमर्श हुआ	हाँ, दिनांक 20.08.2015 को लेखा परीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई। किन्तु किसी भी आपत्ति का जवाब नहीं दिया गया एवं आपत्ति ज्ञापांक की मूल प्रति भी अंकेक्षण दल को वापस नहीं की गयी।
9.	लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेख	परिशिष्ट– I
10.	लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख	परिशिष्ट – II
11.	लेखा परीक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियां	परिशिष्ट – IV

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार लेखा परीक्षा, बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई / कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नही होगा।

12. **प्रशासन**

नगर पंचायत, मीरगंज में पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का लेखापरीक्षा अवधि कार्यकाल की विस्तृत विवरणी कई बार मौखिक व लिखित रूप से माँगे जाने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं करायी गई।

13. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।

14. वित्तीय अधिदृश्य

क. नगर पंचायत, मीरगंज के द्वारा अंकेक्षण अवधि की वित्तीय अधिदृश्य तैयार नहीं की गई थी। सामान्य रोकड़बही को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण वित्तीय अधिदृश्य तैयार नहीं किया जा सका।

ख. वार्षिक लेखा का संधारण नहीं

बिहार नगर पालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 82 से 94 के अनुसार प्रत्येक वर्ष आय–व्यय के वार्षिक लेखा का संधारण करना है। लेकिन नगर पंचायत, मीरगंज द्वारा वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया था। जिससे वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में हुए आय–व्यय की स्थिति का पता नहीं चल सका।

वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 का वार्षिक लेखा शीघ्र तैयार किया जाए।

15. सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में अति सुधार की आवश्यकता है। प्रमुख अभिलेख जैसेः– रोकड़पाल रोकड़ बही, मांग एवं वसूली पंजी, अनुदान पंजी, संपत्ति पंजी, सैरातों की बंदोबस्ती पंजी इत्यादि संधारित नहीं थे। नवनिर्मित भवनों पर धृति कर लगा कर नगर पंचायत की आंतरिक स्त्रोत को बढ़ाने की आवश्यकता है। पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार को समर्पित किया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशा–निर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

16. लेखा परीक्षा का परिणाम .

1. अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि– शून्य

2. अंकेक्षण द्वारा वसूली हेतु सुझाई गयी राशि– ₹1080000.00

3. अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि– ₹973200.00

भाग – II खंड क–शून्य

भाग – II खंड ख

कंडिका संख्या 01 क. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना प्रशिक्षण में अनियमितता

उपलब्ध करायी गयी संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इस मद में प्राप्त राशि में छः घटकों के प्रशिक्षण में से 40 प्रतिशत व्यय हेतु कर्णांकित घटक Step – up के अन्तर्गत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु संचिका के उल्लेखानुसार प्राप्त 377 प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन में से 290 आवेदकों के प्रशिक्षण हेतु 5 स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन नगर विकास व आवास विभाग के पत्रांक 927 दिनांक 06.09.2012 मे वर्णित 10 अर्हता बिन्दुओं की जाँच के आलोक में किया गया। हालांकि प्रशिक्षणार्थियों के न तो कोई आवेदन और न ही प्रशिक्षणार्थियों की सूची संचिका में संलग्न थी। चयनित पाँचों संस्थाओं के 10 अर्हता बिन्दुओं में से बिन्दु 1 से 5, 7 व 8 पूरी करने के कोई प्रमाण संचिका में संलग्न नहीं थे। चयनित पाँचों संस्थाओं को ट्रेड वार आवंटित प्रशिक्षुओं की संख्या तथा पूर्व वर्ष में दिया गया अग्रिम तथा वर्ष 2013–14 मे किया गया भुगतान संलग्न विवरणानुसार थी जबकि इन संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण के क्रम में प्रशिक्षकों को किये गये भुगतान प्रशिक्षण स्थल किराया भुगतान, अन्य कर्मियों का पारिश्रमिक भुगतान प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं के उपयोग में लायी गयी सामग्रियों आदि के कोई भी अभिश्रव संलग्न नहीं थे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षुओं की उपस्थिति पंजी यहां तक की प्रशिक्षुओं की सूची भी उपलब्ध नहीं थी। इन कागजातों की प्रस्तुति हेतु इन संस्थाओं को पत्रांक/ज्ञापांक 434 दिनांक 28.09.13 प्रेषित की गयी, परन्तु अब तक अप्राप्त है फलस्वरूप संस्थाओं का अन्तिम भुगतान लम्बित है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण के क्रम में नगर पंचायत द्वारा चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की जाँच में कई त्रुटियाँ ईंगित की गई थी।

377 आवेदकों की सूची तथा चयनित 290 प्रशिक्षुओं की सूची व चयन का आधार तथा चयनित पाँच संस्थाओं के 10 अर्हता बिन्दुओं का जाँच प्रतिवेदन लेखा परीक्षा में माँगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया गया। व्यय अभिश्रवों की मांग किए जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया जो प्रशिक्षण कार्यक्रम को संदिग्ध बनाता है। अतः प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय की गई राशि ₹ 6,89,584.00 को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

ख. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत चलाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनियमितता

लेखा परीक्षा वर्षों में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना सहायक रोकड़ बही के अनुसार इस योजना में प्राप्ति व भुगतान निम्न प्रकार थें :–

विवरण	2013–14	2014–15
प्रा. शेष	24,89,584	17,84,000
प्राप्तिः– 1. अनुदान 2.सूद	शून्य शून्य	शून्य शून्य
कुल	24,89,584	17,84,000
भुगतानः–1.प्रशिक्षण 2.अन्य(C/A) कुल	6,89,584 16,000 7,05,584	शून्य शून्य शून्य
अन्त शेष	17,84,000	17,84,000
खाता शेष (भा.स्टे.बै.) खाता सं. 11447422037	समिति मद के साथ संयुक्त।	

उपर्युक्त अवशेष इस योजना अन्तर्गत छः घटकों में दिये जाने वाले प्रशिक्षण में से केवल एक घटक (step up), जिसका कुल अनुदान में निर्धारित अंश केवल 40 प्रतिशत था, के अन्तर्गत ही प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये। अन्य घटको के प्रशिक्षण शीघ्र नियमानुसार कराकर राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जाए अथवा राशि संस्वीकृतिदाता को वापस की जाए।

कंडिका सं0 02. धृति कर

क. बहुत बड़ी धृति कर बकाया की वसूली नहीं

नगर पंचायत, मीरगंज के मासिक प्रगति प्रतिवेदन माह मार्च 2015 के अवलोकन के क्रम में पाया कि होल्डिंग टैक्स मद में पिछले वर्ष तक कुल बकाया राशि ₹ 136.49 लाख थी एवं चालू वर्ष की माँग राशि ₹ 12.13 लाख थी जिसकी कुल राशि ₹ 148.62 लाख थी जिसके विरूद्ध वर्ष 2014–15 के अन्त तक मात्र राशि ₹ 23.31 लाख की वसूली हो पाई जो कि कुल बकाया एवं चालू मांग का मात्र 15.68 प्रतिशत था।

इतनी बड़ी बकाया राशि ₹ 125.31 लाख की वसूली हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

ख. नव निर्मित मकान पर कर का निर्धारण नहीं

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गए वर्ष 1998–99 से 2014–15 तक की होल्डिंग टैक्स की मांग एव वसूली प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि पिछले 17 वर्षों में चालू वर्ष की मांग ₹ 6,06,614.00 थी। मांग की राशि के स्थिर होने से स्पष्ट होता है कि इन वर्षों में किसी भी नए मकान को कर के दायरे में नहीं लाया गया।

वर्ष 1998–99 से 2014–15 तक के दौरान कितने मकान के निर्माण हेतु नक्शा पास किया गया तथा कितने मकान का निर्माण कार्य हुआ इनकी संचिका मांगे जाने के बावजूद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

नव निर्मित मकान को कर के दायरे में नहीं लाये जाने का कारण अंकेक्षण दल को अवगत नहीं कराया गया। अतः नव निर्मित मकानों की सूची तैयार कर उस पर भी धृति कर की वसूली की जाए जिससे कि नगर पंचायत निधि के आंतरिक आय स्त्रोत में वृद्धि हो सके।

ग. त्रुटिपूर्ण मासिक प्रगति प्रतिवेदन

नगर पंचायत मीरगंज की मासिक प्रगति प्रतिवेदन माह मार्च 2015, के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन में 2014–15 से पहले की बकाया होल्डिंग कर राशि रु. 136.49 लाख थी जबकि वर्षवार होल्डिंग मांग, वसूली व बकाया पंजी के अनुसार राशि ₹ 51,62,323.50/– थी। अतः इससे यह ज्ञात होता हैं कि सरकार को भेजे जा रहे आँकड़ों एवं वास्तविक आंकड़ों में राशि ₹ 84.87 लाख का अंतर था।

धृति कर से संबंधित वास्तविक आंकड़े तथा सरकार को प्रतिवेदित आंकड़े के अंतर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी के आलोक में कोई जवाब नहीं दिया गया। भविष्य में सरकार को अभिलेखों के आधार पर वास्तविक प्रतिवेदन भेजा जाए एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन धृति कर की बकाया विवरणी की त्रुटि को सुधारा जाए।

घ. सरकारी भवनों पर बकाया धृति कर की राशि ₹ 46982700 00 वसूली नहीं

नगर पंचायत द्वारा संधारित संचिका/पंजी सरकारी भवनों पर बकाया के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत के क्षेत्रांतर्गत सात सरकारी भवनों पर राशि ₹ 46982700.00 होल्डिंग कर के रूप में बकाया थी। इसके अलावे बकाया होल्डिंग कर पर कभी भी ब्याज की गणना नहीं की गई थी।

सरकारी भवनों पर पूर्व के वर्षों से बकाया धृति कर पर ब्याज की गणना करते हुए नई बकाया राशि की माँग एवं वसूली की कार्रवाई की जाए।

165

कंडिका सं0 03. सैरात बन्दोबस्ती में अनियमितता

सैरातों की बन्दोबस्ती के अभिलेखों (समस्त) की माँग किये जाने पर नगर पंचायत द्वारा केवल कुछ संचिकाएँ उपलब्ध करायी गयीं जो सैरात बन्दोबस्ती पंजी संधारित न किये जाने का परिचायक हैं। प्रस्तुत संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2012–13 में बन्दोबस्त किये गये दो सैरातों के अतिरिक्त सक्शन मशीन की बंदोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 09/रा.–7पं.च.–7/2001/668 (9) रा. दि. 01.08.2002 के प्रावधान के अनुरूप समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये गये। परंतु किसी नये सैरात की बन्दोबस्ती हेतु सुरक्षित जमा के निर्धारण हेतु उपर्युक्त पत्र के प्रावधान कि सुरक्षित जमा का निर्धारण इस हेतु गठित जिला निर्धारण समिति द्वारा की जायेगी, का अनुपालन न कर यह निर्धारण स्वयं नगर पंचायत द्वारा कर लिया गया, जो हर मामले में पत्र के प्रावधान के विपरीत 5 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत अथवा पूर्व वर्ष की बंदोबस्ती राशि में इच्छानुसार वृद्धि कर निर्धारित कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2014–15 व 2015–16 में मीरगंज बाजार की बन्दोबस्ती नहीं हुई तथा नगर पंचायत को सुरक्षित जमा राशि के बराबर राशि की हानि हुई। विस्तृत विवरण III संलग्न है।

इस प्रकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उपर्युक्त पत्र के आलोक में एक वर्ष निर्धारित सुरक्षित जमा को लगातार तीन सालों तक स्थिर न रखने के कारण नगर पंचायत को वर्ष 2014–15 व 2015–16 में कुल ₹ 10,80,000.00 की हानि हुई।

सुरक्षित जमा निर्धारण हेतु वर्णित पत्र में दी गयी विधि अनुरूप न किये जाने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने के कारण नगर पंचायत को हुई हानि राशि ₹ 10,80,000.00 को जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूल किया जाए। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विभागीय वसूली नहीं किये जाने का औचित्य बताया जाय।

संलग्न विवरणी में वर्णित बन्दोबस्ती राशि ₹ 32,11,400.00 का नगर पंचायत निधि में जमा नहीं दिखाया गया अतः नगर पंचायत निधि में राशि ₹ 32,11,400.00 का अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

कंडिका सं0 04. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से राशि का विचलन

नगर पंचायत की पि.क्षे.अ.नि. की सहायक रोकड़बही के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि दिनांक 11.04.2014 को पि.क्षे.अ.नि. की सहायक रोकड़बही में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों के मानदेय का भुगतान चेक सं. 058002 से 058020 तक कुल राशि ₹ 2,83,616.00 काटा गया था। जो कि राशि का विचलन कर खर्च किया गया था।

विचलन की राशि की प्रतिपूर्ति यथाशीघ्र की जाए। राशि की प्रतिपूर्ति तक राशि ₹ 283616.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं0 05. 11वीं मद की राशि का अवरोधन

ग्यारहवीं वित्त आयोग के सहायक रोकड़ पंजी के जाँच के क्रम में पाया गया कि दिनांक 25.12.14 तक अंतशेष ₹ 196144.64 था किन्तु दिनांक 26.12.14 को ठोस अपशिष्ट मद से ₹ 163085.00 व्यय किया गया तथा 31.07.15 को इस मद में अंतशेष ₹ 33,059.64 पड़ा हुआ है। जबकि 11वीं वित्त आयोग योजना बंद हो चुकी है।

अतः अंतशेष राशि ₹ 33,059.64 का नगर विकास विभाग से दिशा–निर्देश माँग कर उपयोग को सुनिश्चित किया जाए।

कंडिका सं0 06. असमायोजित अग्रिम राशि ₹ 524051.00

नगर पंचायत द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। नगर पंचायत द्वारा संधारित अग्रिम की सहायक रोकड़बही के अनुसार 31.03.2015 तक नगर पंचायत के कर्मियों पर कुल राशि ₹ 11,54,551.00 एवं दिनांक 13.08.2015 तक कुल राशि ₹ 18,86,051/– बकाया थी। दिनांक 31.03.2015 तक की बकाया राशि में से दिनांक 01.04.2015 से 13.08.2015 तक कुल राशि ₹ 6,30,500.00 का समायोजन किया जा चुका था। अर्थात 31.03.2015 के पूर्व तक दिये गए अग्रिम में से राशि ₹ 5,24,051.00 (11,54,551.00 – 6,30,500.00) वर्तमान तक असमायोजित है। इस बकाये अग्रिम की राशि मे से ₹ 3,80,612/– दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2015 तक की अवधि में प्रदान की गई थी। तथा शेष राशि ₹ 1,43,439.00 दो वर्ष से भी अधिक अवधि से असमायोजित है तथा यह राशि किसे प्रदान की गई थी इसकी भी जानकारी नगर पंचायत के पास नहीं थी। 01.04.2013 से 31.03.2015 तक की वस्तृत विवरणी निम्नवत है:–

01.04.2013 से 31.03.2015 तक की गई असमायोजित अग्रिम की विवरणी

क्र. सं.	अग्रिम प्राप्तकर्त्ता का नाम,	पद नाम	अग्रिम प्रदान की तिथि	राशि ₹
01.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव	दैनिक वेतन कर्मी	03.05.13	15,000
02.	तथैव	"	15.06.13	15,000
03.	तथैव	"	10.03.14	11,000
04.	तथैव	"	14.03.14	10,000
05.	तथैव	"	15.04.14	7.000
			कुल राशि	58,000
06.	श्री साधु शरण प्रसाद यादव	कनीय अभियंता	05.12.13	32,512

07.	तथैव	"	10.03.14	17,100
08.	तथैव	"	03.09.14	72,000
09.	तथैव	"	28.09.14	92,000
10.	तथैव	"	28.09.14	10,000
11	तथैव	"	08.11.14	19,000
12.	तथैव	"	06.01.15	7,500
13.	तथैव	"	07.01.15	7,500
14.	तथैव	"	14.01.15	50,000
15.	तथैव	"	27.01.15	15,000
			कुल योग	3,22,612
			सम्मिलित योग	3,80,612

यथाशीघ्र अग्रिम की वसूली/समायोजन किया जाए।

भाग–III (TAN)

कंडिका सं0 01. रोकड़पाल की रोकड़बही संधारित नहीं

बिहार म्यूनिसिपल एकाउंटस रूल्स 2014 के अनुसार रोकड़पाल को रोकड़बही संधारित करना चाहिए। नगर पंचायत, मीरगंज में स्थापना से अब तक कभी भी रोकड़पाल की रोकड़बही संधारित नहीं की गयी थी।

उपर्युक्त फॉर्म के अनुरूप रोकड़पाल रोकड़बही का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

कंडिका सं0 02. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के सहायक रोकड़बही की त्रुटियॉ

नगर पंचायत की पि.क्षे.अ.नि. की सहायक रोकड़बही के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2013–14 की सूद की राशि रू. 1,55,207/– (77,347+77,860) एवं 2014–15 की सूद की राशि ₹ 1,56,420/– (97,602+58,818) को रोकड़बही में इन्द्राज नहीं किया गया था। इसके अलावे सहायक रोकड़बही के अनुसार दिनांक 31.03.2015 का अंतशेष राशि ₹ 2398492/– था, जिसमें सूद की राशि को जोड़ने पर कुल अंतशेष राशि ₹ 27,10,119/– होता है। जिसमें से बैंक

खाता सं. 30391765255, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मीरगंज जो कि पि.क्षे.अ.नि. की राशि के लिए खोली गई थी में दिनांक 31.03.2015 को मात्र राशि रू. 25,52,365/– थी। इसके अलावे भी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मीरगंज के खाता सं.1005341010003156 में कुछ राशि रखी हुई थी। इस खाता में अन्य मद की भी राशि रखी हुई थी जिससे अंकेक्षण द्वारा इस खाते में पि0 क्षे0 अ0 नि0 की राशि ज्ञात नहीं की जा सकी।

सूद की राशि को रोकड़बही में इन्द्राज करते हुए एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के खाता में उपलब्ध पि.क्षे.अ.नि. की राशि की गणना करते हुए बैंक समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए एवं पि.क्षे.अ.नि. की समस्त राशि को एक ही खाता में रखी जाए जिससे कार्य करने में सुविधा हो।

रोकड़पाल की रोकड़बही का शीघ्र संधारण किया जाए।

(16)

कंडिका सं0 03. बारहवीं वित्त आयोग मद की राशि ₹ 1.20 लाख का अवरोधन

बारहवी वित्त आयोग के सहायक रोकड़ वही के जाँच क्रम में पाया गया कि दिनांक 22.01.15 को अवशेष राशि ₹ 10,34,273.00 थी इस मद से ठोस अपशिष्ट में निम्नलिखित तिथि मे व्यय किया गया :–

क्र. सं.	दिनांक	विवरण	व्यय राशि
01.	23.01.15	हाइड्रोलिक टिपर टॉली का मौर्या मोट्र्स को भुगतान	5,65,000.00
02.	28.02.15	प्रताप ट्रेक्टर तारवारा रोड सीवान को 7.5 KVA साऊण्ड लेस जेनरेटर का भुगतान	2,35,000.00
03.	01.04.15	साइकिल, कम्प्यूटर, एलायड़ सइंटिफिक ट्रेडर्स को भुगतान	63,250.00
04.	06.04.15	कार वाशिंग मशीन क्रय के	8,500.00
05.	13.04.15	जेनरेटर बेस निर्माण	9,000.00
06.	24.04.15	जेनरेटर वाइरिंग	33,900.00
		कुल	9,14,650.00

दिनांक 25 04.15 तक अंतशेष राशि ₹ 1,19,623.00 (10,34,273.00–9,14,650.00) मद में राशि पड़ा हुआ था। जबकि 12वीं वित्त आयोग योजना बंद हो चुकी है।

अवशेष राशि ₹1,19,623.00 के आलोक में नगर विकास आयोग से दिशा निर्देश मांग कर अवशेष राशि के उपयोग को सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता0–
(बलराम मिश्रा)
स0ले0प0अ0

अनुमोदित
उपमहालेखाकार
––सह––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

नगर पंचायत मीरगंज(गोपालगंज)
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–1074/15–16
(अवधि–2013–14 से 2014–15)
भाग – I
प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर पंचायत, मीरगंज
2.	लेखा वर्ष	2013–14 से 2014–15
3.	अंकेक्षण अवधि	13.08.2015 से 20.08.2015
4.	लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र–	परिशिष्ट– I और II पर संलग्न
5.	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	1. श्री बलराम मिश्रा, स0ले0प0अ0 2. श्री राजकिशोर कुमार, लेखा परीक्षक
6.	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	श्री राकेश खन्ना, व0ले0प0अ0
7.	कार्यालय प्रधान का नाम	मो. नूर एन(अंकेक्षण अवधि के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार पर थे)
8.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार–विमर्श हुआ	हाँ, दिनांक 20.08.2015 को लेखा परीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई। किन्तु किसी भी आपत्ति का जवाब नहीं दिया गया एवं आपत्ति ज्ञापांक की मूल प्रति भी अंकेक्षण दल को वापस नहीं की गयी।
9.	लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेख	परिशिष्ट– I
10.	लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख	परिशिष्ट – II
11.	लेखा परीक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियां	परिशिष्ट – IV

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार लेखा परीक्षा, बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई /कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नही होगा।

159

12. **प्रशासन**

नगर पंचायत, मीरगंज में पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का लेखापरीक्षा अवधि कार्यकाल की विस्तृत विवरणी कई बार मौखिक व लिखित रूप से माँगे जाने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं करायी गई।

13. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।

14. वित्तीय अधिदृश्य

क. नगर पंचायत, मीरगंज के द्वारा अंकेक्षण अवधि की वित्तीय अधिदृश्य तैयार नहीं की गई थी। सामान्य रोकड़बही को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण वित्तीय अधिदृश्य तैयार नहीं किया जा सका।

ख. वार्षिक लेखा का संधारण नहीं

बिहार नगर पालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 82 से 94 के अनुसार प्रत्येक वर्ष आय–व्यय के वार्षिक लेखा का संधारण करना है। लेकिन नगर पंचायत, मीरगंज द्वारा वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया था। जिससे वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में हुए आय–व्यय की स्थिति का पता नहीं चल सका।

वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 का वार्षिक लेखा शीघ्र तैयार किया जाए।

15. सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में अति सुधार की आवश्यकता है। प्रमुख अभिलेख जैसेः– रोकड़पाल रोकड़ बही, मांग एवं वसूली पंजी, अनुदान पंजी, संपत्ति पंजी, सैरातों की बंदोबस्ती पंजी इत्यादि संधारित नहीं थे। नवनिर्मित भवनों पर धृति कर लगा कर नगर पंचायत की आंतरिक स्त्रोत को बढ़ाने की आवश्यकता है। पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार को समर्पित किया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशा–निर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

16. लेखा परीक्षा का परिणाम .

1. अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि– शून्य

2. अंकेक्षण द्वारा वसूली हेतु सुझाई गयी राशि– ₹1080000.00

3. अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि– ₹973200.00

भाग – II खंड क–शून्य

भाग – II खंड ख

कंडिका संख्या 01 क. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना प्रशिक्षण में अनियमितता

उपलब्ध करायी गयी संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इस मद में प्राप्त राशि में छः घटकों के प्रशिक्षण में से 40 प्रतिशत व्यय हेतु कर्णांकित घटक Step – up के अन्तर्गत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु संचिका के उल्लेखानुसार प्राप्त 377 प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन में से 290 आवेदकों के प्रशिक्षण हेतु 5 स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन नगर विकास व आवास विभाग के पत्रांक 927 दिनांक 06.09.2012 मे वर्णित 10 अर्हता बिन्दुओं की जाँच के आलोक में किया गया। हालांकि प्रशिक्षणार्थियों के न तो कोई आवेदन और न ही प्रशिक्षणार्थियों की सूची संचिका में संलग्न थी। चयनित पाँचों संस्थाओं के 10 अर्हता बिन्दुओं में से बिन्दु 1 से 5, 7 व 8 पूरी करने के कोई प्रमाण संचिका में संलग्न नहीं थे। चयनित पाँचों संस्थाओं को ट्रेड वार आवंटित प्रशिक्षुओं की संख्या तथा पूर्व वर्ष में दिया गया अग्रिम तथा वर्ष 2013–14 मे किया गया भुगतान संलग्न विवरणानुसार थी जबकि इन संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण के क्रम में प्रशिक्षकों को किये गये भुगतान प्रशिक्षण स्थल किराया भुगतान, अन्य कर्मियों का पारिश्रमिक भुगतान प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं के उपयोग में लायी गयी सामग्रियों आदि के कोई भी अभिश्रव संलग्न नहीं थे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षुओं की उपस्थिति पंजी यहां तक की प्रशिक्षुओं की सूची भी उपलब्ध नहीं थी। इन कागजातों की प्रस्तुति हेतु इन संस्थाओं को पत्रांक/ज्ञापांक 434 दिनांक 28.09.13 प्रेषित की गयी, परन्तु अब तक अप्राप्त है फलस्वरूप संस्थाओं का अन्तिम भुगतान लम्बित है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण के क्रम में नगर पंचायत द्वारा चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की जाँच में कई त्रुटियाँ ईंगित की गई थी।

377 आवेदकों की सूची तथा चयनित 290 प्रशिक्षुओं की सूची व चयन का आधार तथा चयनित पाँच संस्थाओं के 10 अर्हता बिन्दुओं का जाँच प्रतिवेदन लेखा परीक्षा में माँगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया गया। व्यय अभिश्रवों की मांग किए जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया जो प्रशिक्षण कार्यक्रम को संदिग्ध बनाता है। अतः प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय की गई राशि ₹ 6,89,584.00 को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

ख. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत चलाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनियमितता

लेखा परीक्षा वर्षों में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना सहायक रोकड़ बही के अनुसार इस योजना में प्राप्ति व भुगतान निम्न प्रकार थें :–

(15)

विवरण	2013–14	2014–15
प्रा. शेष	24,89,584	17,84,000
प्राप्तिः– 1. अनुदान 2.सूद	शून्य शून्य	शून्य शून्य
कुल	24,89,584	17,84,000
भुगतानः–1.प्रशिक्षण 2.अन्य(C/A) कुल	6,89,584 16,000 7,05,584	शून्य शून्य शून्य
अन्त शेष	17,84,000	17,84,000
खाता शेष (भा.स्टे.बै.) खाता सं. 11447422037	समिति मद के साथ संयुक्त।	

उपर्युक्त अवशेष इस योजना अन्तर्गत छः घटकों में दिये जाने वाले प्रशिक्षण में से केवल एक घटक (step up), जिसका कुल अनुदान में निर्धारित अंश केवल 40 प्रतिशत था, के अन्तर्गत ही प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये गये। अन्य घटको के प्रशिक्षण शीघ्र नियमानुसार कराकर राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जाए अथवा राशि संस्वीकृतिदाता को वापस की जाए।

कंडिका सं0 02. धृति कर

क. बहुत बड़ी धृति कर बकाया की वसूली नहीं

नगर पंचायत, मीरगंज के मासिक प्रगति प्रतिवेदन माह मार्च 2015 के अवलोकन के क्रम में पाया कि होल्डिंग टैक्स मद में पिछले वर्ष तक कुल बकाया राशि ₹ 136.49 लाख थी एवं चालू वर्ष की माँग राशि ₹ 12.13 लाख थी जिसकी कुल राशि ₹ 148.62 लाख थी जिसके विरूद्ध वर्ष 2014–15 के अन्त तक मात्र राशि ₹ 23.31 लाख की वसूली हो पाई जो कि कुल बकाया एवं चालू मांग का मात्र 15.68 प्रतिशत था।

इतनी बड़ी बकाया राशि ₹ 125.31 लाख की वसूली हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

ख. नव निर्मित मकान पर कर का निर्धारण नहीं

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गए वर्ष 1998–99 से 2014–15 तक की होल्डिंग टैक्स की मांग एव वसूली प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि पिछले 17 वर्षों में चालू वर्ष की मांग ₹ 6,06,614.00 थी। मांग की राशि के स्थिर होने से स्पष्ट होता है कि इन वर्षों में किसी भी नए मकान को कर के दायरे में नहीं लाया गया।

वर्ष 1998–99 से 2014–15 तक के दौरान कितने मकान के निर्माण हेतु नक्शा पास किया गया तथा कितने मकान का निर्माण कार्य हुआ इनकी संचिका मांगे जाने के बावजूद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

नव निर्मित मकान को कर के दायरे में नहीं लाये जाने का कारण अंकेक्षण दल को अवगत नहीं कराया गया। अतः नव निर्मित मकानों की सूची तैयार कर उस पर भी धृति कर की वसूली की जाए जिससे कि नगर पंचायत निधि के आंतरिक आय स्त्रोत में वृद्धि हो सके।

ग. त्रुटिपूर्ण मासिक प्रगति प्रतिवेदन

नगर पंचायत मीरगंज की मासिक प्रगति प्रतिवेदन माह मार्च 2015, के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन में 2014–15 से पहले की बकाया होल्डिंग कर राशि रु. 136.49 लाख थी जबकि वर्षवार होल्डिंग मांग, वसूली व बकाया पंजी के अनुसार राशि ₹ 51,62,323.50/– थी। अतः इससे यह ज्ञात होता हैं कि सरकार को भेजे जा रहे आँकड़ों एवं वास्तविक आंकड़ों में राशि ₹ 84.87 लाख का अंतर था।

धृति कर से संबंधित वास्तविक आंकड़े तथा सरकार को प्रतिवेदित आंकड़े के अंतर पर लेखा परीक्षा की टिप्पणी के आलोक में कोई जवाब नहीं दिया गया। भविष्य में सरकार को अभिलेखों के आधार पर वास्तविक प्रतिवेदन भेजा जाए एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन धृति कर की बकाया विवरणी की त्रुटि को सुधारा जाए।

घ. सरकारी भवनों पर बकाया धृति कर की राशि ₹ 46982700.00 वसूली नहीं

नगर पंचायत द्वारा संधारित संचिका/पंजी सरकारी भवनों पर बकाया के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत के क्षेत्रांतर्गत सात सरकारी भवनों पर राशि ₹ 46982700.00 होल्डिंग कर के रूप में बकाया थी। इसके अलावे बकाया होल्डिंग कर पर कभी भी ब्याज की गणना नहीं की गई थी।

सरकारी भवनों पर पूर्व के वर्षों से बकाया धृति कर पर ब्याज की गणना करते हुए नई बकाया राशि की माँग एवं वसूली की कार्रवाई की जाए।

कंडिका सं0 03. सैरात बन्दोबस्ती में अनियमितता

सैरातों की बन्दोबस्ती के अभिलेखों (समस्त) की माँग किये जाने पर नगर पंचायत द्वारा केवल कुछ संचिकाएँ उपलब्ध करायी गयीं जो सैरात बन्दोबस्ती पंजी संधारित न किये जाने का परिचायक हैं। प्रस्तुत संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2012–13 में बन्दोबस्त किये गये दो सैरातों के अतिरिक्त सक्शन मशीन की बंदोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 09/रा.–7पं.च.–7/2001/668 (9) रा. दि. 01.08.2002 के प्रावधान के अनुरूप समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये गये। परंतु किसी नये सैरात की बन्दोबस्ती हेतु सुरक्षित जमा के निर्धारण हेतु उपर्युक्त पत्र के प्रावधान कि सुरक्षित जमा का निर्धारण इस हेतु गठित जिला निर्धारण समिति द्वारा की जायेगी, का अनुपालन न कर यह निर्धारण स्वयं नगर पंचायत द्वारा कर लिया गया, जो हर मामले में पत्र के प्रावधान के विपरीत 5 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत अथवा पूर्व वर्ष की बंदोबस्ती राशि में इच्छानुसार वृद्धि कर निर्धारित कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2014–15 व 2015–16 में मीरगंज बाजार की बन्दोबस्ती नहीं हुई तथा नगर पंचायत को सुरक्षित जमा राशि के बराबर राशि की हानि हुई। विस्तृत विवरण III संलग्न है।

इस प्रकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उपर्युक्त पत्र के आलोक में एक वर्ष निर्धारित सुरक्षित जमा को लगातार तीन सालों तक स्थिर न रखने के कारण नगर पंचायत को वर्ष 2014–15 व 2015–16 में कुल ₹ 10,80,000.00 की हानि हुई।

सुरक्षित जमा निर्धारण हेतु वर्णित पत्र में दी गयी विधि अनुरूप न किये जाने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने के कारण नगर पंचायत को हुई हानि राशि ₹ 10,80,000.00 को जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूल किया जाए। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विभागीय वसूली नहीं किये जाने का औचित्य बताया जाय।

संलग्न विवरणी में वर्णित बन्दोबस्ती राशि ₹ 32,11,400.00 का नगर पंचायत निधि में जमा नहीं दिखाया गया अतः नगर पंचायत निधि में राशि ₹ 32,11,400.00 का अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

कंडिका सं0 04. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से राशि का विचलन

नगर पंचायत की पि.क्षे.अ.नि. की सहायक रोकड़बही के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि दिनांक 11.04 2014 को पि.क्षे.अ.नि. की सहायक रोकड़बही में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों के मानदेय का भुगतान चेक सं. 058002 से 058020 तक कुल राशि ₹ 2,83,616.00 काटा गया था। जो कि राशि का विचलन कर खर्च किया गया था।

विचलन की राशि की प्रतिपूर्ति यथाशीघ्र की जाए। राशि की प्रतिपूर्ति तक राशि ₹ 283616.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं0 05. 11वीं मद की राशि का अवरोधन

ग्यारहवीं वित्त आयोग के सहायक रोकड़ पंजी के जाँच के क्रम में पाया गया कि दिनांक 25.12.14 तक अंतशेष ₹ 196144.64 था किन्तु दिनांक 26.12.14 को ठोस अपशिष्ट मद से ₹ 163085.00 व्यय किया गया तथा 31.07.15 को इस मद में अंतशेष ₹ 33,059.64 पड़ा हुआ है। जबकि 11वीं वित्त आयोग योजना बंद हो चुकी है।

अतः अंतशेष राशि ₹ 33,059.64 का नगर विकास विभाग से दिशा–निर्देश माँग कर उपयोग को सुनिश्चित किया जाए।

कंडिका सं0 06. असमायोजित अग्रिम राशि ₹ 524051.00

नगर पंचायत द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। नगर पंचायत द्वारा संधारित अग्रिम की सहायक रोकड़बही के अनुसार 31.03.2015 तक नगर पंचायत के कर्मियों पर कुल राशि ₹ 11,54,551.00 एवं दिनांक 13.08.2015 तक कुल राशि ₹ 18,86,051/– बकाया थी। दिनांक 31.03.2015 तक की बकाया राशि में से दिनांक 01.04.2015 से 13.08.2015 तक कुल राशि ₹ 6,30,500.00 का समायोजन किया जा चुका था। अर्थात 31.03.2015 के पूर्व तक दिये गए अग्रिम में से राशि ₹ 5,24,051.00 (11,54,551.00 – 6,30,500.00) वर्तमान तक असमायोजित है। इस बकाये अग्रिम की राशि मे से ₹ 3,80,612/– दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2015 तक की अवधि में प्रदान की गई थी। तथा शेष राशि ₹ 1,43,439.00 दो वर्ष से भी अधिक अवधि से असमायोजित है तथा यह राशि किसे प्रदान की गई थी इसकी भी जानकारी नगर पंचायत के पास नहीं थी। 01.04.2013 से 31.03.2015 तक की वस्तृत विवरणी निम्नवत है:–

01.04.2013 से 31.03.2015 तक की गई असमायोजित अग्रिम की विवरणी

क्र. सं.	अग्रिम प्राप्तकर्त्ता का नाम,	पद नाम	अग्रिम प्रदान की तिथि	राशि ₹
01.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव	दैनिक वेतन कर्मी	03.05.13	15,000
02.	तथैव	,,	15.06.13	15,000
03.	तथैव	,,	10.03.14	11,000
04.	तथैव	,,	14.03.14	10,000
05.	तथैव	,,	15.04.14	7.000
			कुल राशि	58,000
06.	श्री साधु शरण प्रसाद यादव	कनीय अभियंता	05.12.13	32,512

153

07.	तथैव	"	10.03.14	17,100
08.	तथैव	"	03.09.14	72,000
09.	तथैव	"	28.09.14	92,000
10.	तथैव	"	28.09.14	10,000
11	तथैव	"	08.11.14	19,000
12.	तथैव	"	06.01.15	7,500
13.	तथैव	"	07.01.15	7,500
14.	तथैव	"	14.01.15	50,000
15.	तथैव	"	27.01.15	15,000
			कुल योग	3,22,612
			सम्मिलित योग	3,80,612

यथाशीघ्र अग्रिम की वसूली/समायोजन किया जाए।

भाग–III (TAN)

कंडिका सं0 01. रोकड़पाल की रोकड़बही संधारित नहीं

बिहार म्यूनिसिपल एकाउंटस रूल्स 2014 के अनुसार रोकड़पाल को रोकड़बही संधारित करना चाहिए। नगर पंचायत, मीरगंज में स्थापना से अब तक कभी भी रोकड़पाल की रोकड़बही संधारित नहीं की गयी थी।

उपर्युक्त फॉर्म के अनुरूप रोकड़पाल रोकड़बही का संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

कंडिका सं0 02. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के सहायक रोकड़बही की त्रुटियॉ

नगर पंचायत की पि.क्षे.अ.नि. की सहायक रोकड़बही के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2013–14 की सूद की राशि रू. 1,55,207/– (77,347+77,860) एवं 2014–15 की सूद की राशि ₹ 1,56,420/– (97,602+58,818) को रोकड़बही में इन्द्राज नहीं किया गया था। इसके अलावे सहायक रोकड़बही के अनुसार दिनांक 31.03.2015 का अंतशेष राशि ₹ 2398492/– था, जिसमें सूद की राशि को जोड़ने पर कुल अंतशेष राशि ₹ 27,10,119/– होता है। जिसमें से बैंक

खाता सं. 30391765255, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मीरगंज जो कि पि.क्षे.अ.नि. की राशि के लिए खोली गई थी में दिनांक 31.03.2015 को मात्र राशि रू. 25,52,365/– थी। इसके अलावे भी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मीरगंज के खाता सं.1005341010003156 में कुछ राशि रखी हुई थी। इस खाता में अन्य मद की भी राशि रखी हुई थी जिससे अंकेक्षण द्वारा इस खाते में पि0 क्षे0 अ0 नि0 की राशि ज्ञात नहीं की जा सकी।

सूद की राशि को रोकड़बही में इन्द्राज करते हुए एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के खाता में उपलब्ध पि.क्षे.अ.नि. की राशि की गणना करते हुए बैंक समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए एवं पि.क्षे.अ.नि. की समस्त राशि को एक ही खाता में रखी जाए जिससे कार्य करने में सुविधा हो।

रोकड़पाल की रोकड़बही का शीघ्र संधारण किया जाए।

PTO